प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौहत्तर'

[17/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 6458]

(5)

परिशिष्ट का प्रपत्र–01

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6458 के प्रश्नांश "ग" की जानकारी

बैठक दिनांक 17/03/2016 सदस्य– श्री के.पी. सिंह

आयुक्त सहकारिता द्वारा उप आयुक्त, सहकारिता जिला भोपाल को शिकायत जांच हेतु दिये गये निर्देश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश

क्रमांक/गृ0नि/2013/ 418 भोपाल, दिनांक 6.5.13

प्रति,

उप आयुक्त
सहकारिता
जिला भोपाल,

विषय :– लाला लाजपत राय गृ0नि0 सह0 सं0 मर्या0 भोपाल के विरुद्ध कई गम्भीर अनियमितताऐं की दस्तावेजों साक्ष्यो सहित की गई शिकायत पर जाँचकर्ता अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय सहकारिता भोपाल द्वारा बचाने बाबत्।

संदर्भ :– माननीय मंत्री जी सहकारिता का पत्र क्र0 1190 दिनांक 10/4/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है ।

प्रकरण की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को जांच प्रतिवेदन सहित अवगत कराते हुये आवेदक को भी अवगत करावें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

6.5.13
उप आयुक्त
सहकारिता म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन,
सहकारिता विभाग

(6)

परिशिष्ट का प्रपत्र–02

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6458 के प्रश्नांश "ग" की जानकारी

बैठक दिनांक 17/03/2016 सदस्य– श्री के.पी. सिंह

आयुक्त सहकारिता द्वारा माननीय मंत्रीजी को अवगत कराने हेतु लिखा गया पत्र

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एंव पंजीयक सहकारी संस्थाये म0प्र0

क्रमांक/गृ.नि./13/ 677 भोपाल, दिनांक 8.7.13

प्रति,

निज सचिव
मान. मंत्रीजी
सहकारिता
म0प्र0शासन भोपाल ।

(2)

विषय:- लाला लाजपतराय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या0 भोपाल के विरूद्ध श्री एम.वाय.खान द्वारा की गई शिकायत के संबंध मे ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/1190/2013, दिनांक 10.4.13

xxx

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित नोटशीट का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके संलग्न श्री एम.वाय.खान द्वारा की गई शिकायत सूक्ष्म परीक्षणोपरांत नियमोचित आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी ।

शिकायत की जांच उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल से कराई गई, उप आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता संस्था का सदस्य नही है, न ही संस्था से कोई लेना देना है । शिकायतकर्ता लगातार संस्था के विरूद्ध झूठी शिकायते कर, संस्था पदाधिकारियो को परेशान करते है एंव विभाग को गुमराह कर, विभाग का कीमती समय बर्बाद कर रहे है । शिकायतकर्ता जांच हेतु नियत दिनांक को उपस्थित नही हुये और न ही उनके द्वारा साक्ष्य, दस्तावेज खंडन के संबंध मे प्रस्तुत किये है ।

उपरोक्त स्थिति मे शिकायत नस्तीबद्ध की गई है । उप आयुक्त भोपाल द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

O/c अपर आयुक्त
सहकारिता म0प्र0

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6458 के प्रश्नांश "ग" की जानकारी

बैठक दिनांक 17/03/2016 सदस्य– श्री के.पी. सिंह

उप आयुक्त, सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित शिकायत का जांच प्रतिवेदन

(7)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल

(डी–ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल)

क्रमांक/शिकायत/13/1663 भोपाल, दिनांक 26-6-13

(3)

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,

सहकारी संस्थायें, म0प्र0, भोपाल।

विषयः-- लाला लाजपतराय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0, भोपाल के विरूद्ध कई गंभीर अनियमितताओं की दस्तावेजों साक्ष्यों शिकायत की गई, शिकायत पर जांचकर्ता अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, सहकारिता, भोपाल द्वारा बचाने बाबत्।

संदर्भः-- आपका पत्र क्रमांक/गृ0नि0/2013/418, दिनांक 06.05.2013

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संलग्न माननीय मंत्रीजी सहकारिता की नोटशीट क्र0–1190, दिनांक 10.04.2013 द्वारा श्री एम0वॉय0 खान के आवेदन पर की गई जांच प्रकरण में सूक्ष्म परीक्षणोपरांत नियमोचित आवश्यक कार्यवाही कर तथ्यात्मक स्थित से अवगत कराने हेतु लेख किया गया था।

विषयांकित संस्था के विरूद्ध श्री एम0वॉय0 खान द्वारा की गई शिकायत की जांच श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक से कराई गई थी। जांच के संबंध में श्री खान द्वारा जांच निष्कर्षो के विरूद्ध खंडन पत्र दिनांक 19.03.2013 माननीय सहकारिता मंत्री म0प्र0 शासन महोदय को प्रस्तुत किया गया था, जो नोटशीट के संलग्न प्रेषित किया गया है। खंडन पत्र के संबंध में संस्था अध्यक्ष एवं आवेदक को समक्ष में पत्र दिनांक 21.05.2013 से आहूत किया गया था। संस्था अध्यक्ष द्वारा लिखित जानकारी प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि श्री एम0वॉय0 खान द्वारा की गई शिकायत में संस्था पर लगाए गए आरोपों के परिपेक्ष्य में जांच अधिकारी श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था अभिलेख अनुसार बिन्दुवार जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो पूर्णतः सत्य एवं उचित है। शिकायतकर्ता संस्था का सदस्य नहीं है, न ही संस्था से कोई लेना–देना है। शिकायतकर्ता संस्था के भूखंड क्र0–36ए पर अवैध कब्जा करने की नियत से संस्था के विरूद्ध लगातार झूठी शिकायतें कर संस्था पदाधिकारियों को परेशान करते है एवं विभाग को गुमराह कर विभाग का कीमती समय बर्बाद कर रहे है।

शिकायतकर्ता नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा साक्ष्य दस्तावेज खंडन के संबंध में प्रस्तुत किये है।

श्री राजीव जैन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 11.02.2013 को पूर्व पदाधिकारियों को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 76(2) एवं वर्तमान पदाधिकारियों को 53(2) के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाकर कार्यवाही जारी है। किसी भी दोषी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

उप आयुक्त
सहकारिता जिला भोपाल

कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थायें
आवक क्र. 6131
दिनांक 03-7-13
मध्यप्रदेश

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग